कार्यालय, आयुक्त उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश
सतपुड़ा भवन भोपाल–462004

क्रमांक / 758 / 346 / आउशि / शा–5'अ' / 2014 भोपाल, दिनांक 20/10/2014

प्रति,

प्राचार्य,
समस्त शासकीय (अग्रणी) महाविद्यालय,
मध्यप्रदेश।

विषयः **शैक्षणिक सत्र 2014–15 में नवीन संस्थापित शासकीय महाविद्यालयों में विद्यार्थियों का प्रवेश।**

संदर्भः 1. मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग का पत्र क्रमांक एफ–21–1 / 2013 / 38–2, दिनांक 05.08.2013
2. मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग का पत्र क्रमांक एफ–21–1 / 2013 / 38–2, दिनांक 25.08.2013
3. मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग का पत्र क्रमांक एफ--21–1 / 2014 / 38–2, दिनांक 01.10.2014

–0–

उपरोक्त संदर्भित आदेश के परिपालन में आरंभ किये गये नवीन शासकीय महाविद्यालयों में विद्यार्थियों को विगत सत्र में प्रवेश देने हेतु अन्य महाविद्यालयों में प्रवेशित विद्यार्थियों को स्थानांतरित, किया जाना है। इस बाबत समस्त अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्यो को निर्देशित किया जाता है कि आपके (अग्रणी महाविद्यालय के) क्षेत्राधिकार में यदि कोई नवीन शासकीय महाविद्यालय संचालित है तो उस महाविद्यालय में विद्यार्थियों के प्रवेश के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें :

1. समस्त अग्रणी महाविद्यालय के क्षेत्राधिकार स्थित महाविद्यालयों में प्रवेशित स्नातक सेमेस्टर के प्रवेशित विद्यार्थियों से नवीन शासकीय महाविद्यालय में प्रवेश के इच्छुक आवेदकों से दिनांक 28.10.2014 हेतु आवेदन भी प्राप्त कर लेंवे।

2. उपरोक्तानुसार प्राप्त आवेदनों के आधार पर नवीन महाविद्यालयों के प्रभारी प्राचार्यों के साथ समन्वय कर आवश्यक व्यवस्थाएं दिनांक 31.10.2014 तक पूर्ण कर ली जायें, ताकि शीघ्र ही विद्यार्थियों के अध्ययन / अध्यापन को व्यवस्था नवीन संस्थापित महाविद्यालय में प्रारंभ की जा सके।

3. स्थानांतरित महाविद्यालयों के पूर्व महाविद्यालयों का संशोधन संबंधित विश्वविद्यालय से कराये जाने हेतु समन्वय स्थापित करें।

4. उपरोक्तानुसार स्थानांतरण किये जा रहे विद्यार्थियों की सूची निर्धारित प्रारूप में संलग्न एक्सल (Exel) फार्मेट में फाईल के रूप में दिनांक 07.11.2014 तक इस कार्यालय को compeellhed@mp.gov.in पर ई–मेल के माध्यम से भेजना सुनिश्चित करें।

(सचिन सिन्हा)
आयुक्त
उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश

पृ0क्रमाक / 759 / 346 / आउशि / शा–5'अ' / 2014 भोपाल, दिनांक 20/10/2014

प्रतिलिपि

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी मान. मंत्री / राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन भोपाल।
3. कुलसचिव, समस्त विश्वविद्यालय, म.प्र. की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. नवीन संस्थापित शासकीय महाविद्यालयों के प्रभारी प्राचार्य उपरोक्तानुसार व्यवस्था कराते हुए अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य को आवश्यक सहयोग प्रदान करें।
5. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, म.प्र. की ओर इस निर्देश के साथ कि अग्रणी महाविद्यालयों के प्राचार्यो से उपरोक्तानुसार व्यवस्था निर्धारित समय सीमा में सम्पन्न कराना सुनिश्चित करें।

आयुक्त
उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश

online l. to principal